

31/8/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादीया उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादीया ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादीया का सही नाम पार्वती पत्नि गिरधारीलाल है परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीश का बोलता नाम पारली पत्नि गिरधारीलाल दर्ज किया गया जो कि गलत है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जावे। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में महेन्द्र पुत्र गिरधारीलाल, आशीष पुत्र गिरधारीलाल का लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र व पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड, की प्रतियां पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम पारली पत्नि गिरधारीलाल अंकित है। वादीया का कथन कि वादीया का सही नाम पार्वती पत्नि गिरधारीलाल है की पुष्टि पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड की प्रतियों से होती है, वादीया के पुत्र महेन्द्र पुत्र गिरधारीलाल, आशीष पुत्र गिरधारीलाल के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादीया साबित है।



12

(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीया डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कैरवाली पटवार हल्का कोटडा स्थित भूमि खसरा सं0 596 कुल किता 1 कुल रकबा 2.01 है0 व खसरा सं0 608 कुल किता 1 कुल रकबा 0.50 है0 में दर्ज खातेदार पारली पत्नि

12

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी हुए

गिरधारीलाल के स्थान पर पार्वती पत्नि गिरधारीलाल दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)